अध्याय 4:
सुरक्षा मानकों का अनुपालन

अध्याय 4: सुरक्षा मानकों का अनुपालन

चूंकि एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील है, इसलिए इसका सुरक्षित उपयोग विशेष रूप से पीएमयूवाई लाभार्थियों के संदर्भ में, जो परंपरागत रूप से अशुद्ध ईंधन पर निर्भर करते हैं और एलपीजी के सुरक्षित उपयोग से अनभिज्ञ हैं, मुख्य चिंता का विषय है।

4.1 एलपीजी का सुरक्षित उपयोग

पीएमयूवाई लाभार्थियों के द्वारा एलपीजी के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, लाभार्थी के परिसर का पूर्व-संस्थापन निरीक्षण, संस्थापना के दौरान मैकेनिक द्वारा एलपीजी के उपयोग पर सुरक्षा ब्रीफिंग, एलपीजी उपकरण को जोड़ना, एलपीजी के उपयोग पर प्रदर्शन, आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की नीचे चर्चा की गई है:

4.1.1 पूर्व-संस्थापना निरीक्षण का न किया जाना

एलपीजी कनेक्शन जारी करने से पहले पूर्व-संस्थापना निरीक्षण किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लाभार्थी परिसर एलपीजी संस्थापना के लिए आवश्यक सुरक्षा मानकों को पूरा करता है जैसे हवादार रसोई, स्टोव के लिए ऊँचा प्लेटफॉर्म आदि। पूर्व-संस्थापना निरीक्षण यह जांचने के लिए भी एक उपकरण के रूप में कार्य करता है कि क्या घर में पहले से ही एलपीजी कनेक्शन है, उस स्थिति में लाभार्थी पीएमयूवाई एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाता है।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान, एलपीजी वितरकों के केवाईसी रिकॉर्डों की परीक्षण जांच में पता चला कि 2531 मामलों में (13.64 प्रतिशत), उपयुक्तता या अन्यथा से संबंधित पूर्व-संस्थापना निरीक्षण रिपोर्ट, पूर्व-संस्थापना के निरीक्षण के आधार पर घर की रसोई के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन नमूना वितरकों में पूर्व-संस्थापना निरीक्षण रिपोर्ट किसी भी पीएमयूवाई कनेक्शनों (29078) में एसवी के साथ संलग्न नहीं पाई गई थी। इस प्रकार, इन घरों में एलपीजी संस्थापना के दौरान सुरक्षा मानकों के गैर-अनुपालन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

ओएमसीज ने उत्तर दिया (अप्रैल 2019) कि पूर्व-संस्थापना निरीक्षण जांच एलपीजी कनेक्शन जारी करते समय वितरकों के लिए प्रक्रिया का एक हिस्सा है। चूंकि पीएमयूवाई के कनेक्शन मिशन मोड में जारी किए गए थे, इसलिए अतिरिक्त संसाधन अल्पकालिक आधार पर लगाए गए थे। इस प्रक्रिया के दौरान, वितरक दस्तावेजीकरण भाग को पूरा करने में पिछडे रहे थे जिसके लिए उन्हें अब संवेदनशील बना दिया गया है।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि पूर्व-संस्थापना निरीक्षण जांच करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी का परिसर एलपीजी संस्थापना के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित है और निरीक्षण रिपोर्ट के अभाव में, यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि निरीक्षण ओएमसी के मानकों के अनुसार किया गया था।

एमओपीएनजी ने जवाब दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसी को पूर्व-संस्थापना निरीक्षण करने और उसकी रिपोर्ट रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, ओएमसी ने निरीक्षण रिपोर्ट के प्रारूप के साथ संस्थापन के लिए एक एसओपी तैयार किया है।

4.1.2 संस्थापना प्रमाण-पत्रों की अनुपलब्धता

संस्थापना प्रमाण-पत्र लाभार्थियों के घर पर एलपीजी कनेक्शन की उचित और सुरक्षित संस्थापना के सबूत के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, संस्थापना प्रक्रिया में सुरक्षा पर ब्रीफिंग, एलपीजी के उपयोग पर प्रदर्शन और आपातकालीन प्रतिक्रिया आदि शामिल है जो एलपीजी वितरक के मैकेनिक द्वारा प्रलेखित होती है।

हालांकि, चयनित एलपीजी वितरकों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान परीक्षण जांच से पता चला कि संस्थापन प्रमाण पत्रों को 2367 मामलों (12.75 प्रतिशत) में एसवी के साथ संलग्न नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, चार एलपीजी वितरकों के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 11906 पीएमयूवाई कनेक्शनों में से किसी में भी संस्थापना प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था।

ओएमसीज ने जवाब दिया (अप्रैल 2019) कि पीएमयूवाई योजना को मिशन मोड में लागू किया गया था जिसमें अस्थायी आधार पर अतिरिक्त श्रमशक्ति की तैनाती की आवश्यकता थी। परिणामस्वरूप, प्रक्रिया के प्रलेखन का हिस्सा पीछे छूट गया। आईओसीएल ने आगे कहा कि वितरकों को सलाह दी गई है कि वे ग्राहक के परिसर का पुनरीक्षण करके प्रलेखन भाग को पूरा करें और संस्थापना प्रमाणपत्र तैयार करें।

तथ्य यह है कि संस्थापना के लिए प्रलेखन की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा यह आश्वासन नहीं प्राप्त कर सका कि संस्थापनाएं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई थी, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता को सुरक्षित एलपीजी प्रथाओं के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, मिशन मोड़ पर बड़े पैमाने पर नामांकन के दौरान भी आवश्यक सुरक्षा जांच से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

एमओपीएनजी ने जवाब दिया (मई 2019) कि ओएमसी को विवरण अद्यतन करने की सलाह दी गई है।

4.1.3 एलपीजी सॉफ्टवेयर में अनिवार्य निरीक्षण तिथि की रिकॉर्डिंग में विसंगतियां

यह पता लगाने के लिए कि क्या एलपीजी उपयोग के दौरान एलपीजी उपभोक्ताओं द्वारा सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जा रहा है, प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर उपभोक्ताओं के घरों का भौतिक निरीक्षण किया जाना हैं। अनिवार्य निरीक्षण के दौरान, रिसाव के संकेतों की मैकेनिक जांच करता है, किसी भी रिसाव के मामले में रेगूलेटर और गैस पाइप की स्थिति का पता लगाता है और इन्हें बदलता/ मरम्मत करता है। यह अनिवार्य सेवा ओएमसी द्वारा अनुमोदित शुल्कों[9] के भुगतान पर उपलब्ध है।

[9] ₹150 + जीएसटी 1 मई 2016 से

पीएमयूवाई उपभोक्ता डेटाबेस में "अनिवार्य निरीक्षण तिथि" क्षेत्र के विश्लेषण से पता चला कि ओएमसी द्वारा 31 दिसंबर 2018 तक स्थापित किए गए 3.78 करोड़ एलपीजी कनेक्शनों में से, 1.36 करोड़ कनेक्शन का अनिवार्य निरीक्षण नियत था। उपरोक्त में से, केवल 1.19 लाख लाभार्थियों (आईओसीएल: 0.17 लाख, बीपीसीएल: 0.33 लाख और एचपीसीएल: 0.69 लाख) अर्थात् पीएमयूवाई लाभार्थियों के 0.88 प्रतिशत के संबंध में, सिस्टम में अनिवार्य निरीक्षण की तारीख स्थापना की तारीख के दो वर्ष बाद की थी जो इंगित करता है कि केवल इन लाभार्थियों के संबंध में अनिवार्य निरीक्षण किया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि सॉफ्टवेयर में भरी गई "अनिवार्य निरीक्षण तिथि" की वैधीकरण जांच का कोई प्रावधान नहीं था और शेष मामलों में, जहां यह निरीक्षण बकाया था, निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई थी:

i) 75.43 लाख कनेक्शनों के मामलो में, अनिवार्य निरीक्षण की तारीख वही थी जो संस्थापना की तारीख थी जो इंगित करती है कि या तो अनिवार्य निरीक्षण नहीं किया गया है या अनिवार्य निरीक्षण करने के बाद सिस्टम में फीड नहीं किया गया है।

ii) 37.53 लाख कनेक्शन के मामलों में, सिस्टम में पंच की गई अनिवार्य निरीक्षण की तारीख संस्थापना की तारीख से पहले की थी, जो संभव नहीं था।

iii) 19.38 लाख कनेक्शनों के मामले में, अनिवार्य निरीक्षण की तारीख संस्थापना की तारीख् से तीन महीनों के अन्दर थी, और शेष 1.96 लाख मामलों में, यह तीन महीने के बाद लेकिन संस्थापना से दो वर्ष के पूर्ण होने से पहले की थी।

इस प्रकार, इन विसंगतियों के मद्देनजर, लेखापरीक्षा को इन सभी मामलों में यह आश्वासन नहीं मिल सका कि, निरीक्षण किया गया था या नहीं, जो पीएमयूवाई परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह भी प्रतीत होता है कि ओएमसीज नियत तिथि के फील्ड में उचित इनपुट डाटा सत्यापन नियंत्रण को लागू करने में विफल हुए थे।

ओएमसीज ने जवाब दिया (अप्रैल 2019) कि अनिवार्य निरीक्षण (एमआई) का मूल उद्देश्य ओवनो, नली, फिक्सचर्स, रेगुलेटर, रसोई में संस्थापना की स्थिति आदि की सुरक्षित संस्थापना सुनिश्चित करना है। एमआई की आवधिकता पहले के रबर ट्यूब के 2 साल के जीवन काल पर आधारित थी जो एलपीजी की घटनाओं का एक मुख्य कारण था। उसी को बाद में ऐसी सुरक्षा नली द्वारा बदल दिया गया जिसका जीवन काल 5 वर्ष है। उसी के मद्देनजर, ओएमसीज ने पहले ही 2 साल से 5 साल के लिए एमआई मानदंडों को संशोधित करने के लिए एमओपीएनजी को प्रस्ताव दिया है। एमआई की प्रविष्टि और निगरानी के संबंध में, प्रणाली में सुधार प्रगति पर है और इसे पीएमयूवाई को कवर करते हुए लागू किया जाएगा।

आईओसीएल ने आगे कहा कि दो वर्षों के अन्दर एमआई को आयोजित करने में देरी/ गैर अनुपालन से संबंधित मुद्दे ग्राहक की अनुपस्थिति, रसोई के अन्दर मैकेनिक को अनुमति नहीं देने आदि के कारण थे। आगे यह भी ध्यान देना चाहिए कि एमआई को प्रभार्य आधार पर

आयोजित किया जाता है और यह पूरी तरह से ग्राहक की एमआई को करवाने या नहीं करवाने के पसंद पर आधारित है।

ओएमसी का जवाब इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि पीएमयूवाई लाभार्थी एलपीजी का पहली बार उपयोगकर्ता है और इसलिए इन निरीक्षणों के माध्यम से ओएमसीज द्वारा इन लाभार्थियों के द्वारा एलपीजी सुरक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी अवश्य होनी चाहिए। इसके अलावा, अनिवार्य निरीक्षण के दौरान सुरक्षा नली के अलावा कई सुरक्षा पहलुओं (स्टोव, दबाव रेगूलेटर और रिसाव) की भी जांच की जाती है। इसके अलावा, भले ही यह निरीक्षण ग्राहक के लिए वैकल्पिक हो, लेकिन इन निरीक्षणों के महत्व पर अधिक जागरूकता उजागर करने की आवश्यकता है। परिभाषित अंतराल अवधि में अनिवार्य निरीक्षण न करने से सुरक्षा मानकों से समझौता हो सकता है।

एमओपीएनजी ने जवाब दिया (मई/जुलाई 2019) कि ओएमसीज को पीएमयूवाई लाभार्थियों के अनिवार्य निरीक्षण के लिए अपने एसओपी को संशोधित करने को सलाह दी गई है। निकास सम्मेलन के दौरान एमओपीएनजी ने बताया कि ओएमसीज को इस संबंध में तौर-तरीकों को लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है क्योंकि इन लाभार्थियों को सामर्थ्य की समस्या है। इसलिए पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए अनिवार्य निरीक्षण को रोक कर रखा गया है।

जवाब को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि गैर / विलंबित अनिवार्य निरीक्षण पीएमयूवाई लाभार्थियों की सुरक्षा को प्रभावित करता है।

4.1.4 पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा असुरक्षित एलपीजी का उपयोग

पीएमयूवाई की पुस्तिका निम्निलिखित सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने का प्रावधान करती है:

i) हॉट प्लेट को हमेशा सिलेंडर स्तर से ऊपर एक प्लेटफॉर्म (गैर-ज्वलनशील सामग्री से बना) पर रखा जाना चाहिए;
ii) संस्थापना के सभी हिस्से अच्छी स्थिति में हो;
iii) केवल आईएसआई चिन्हित हॉट प्लेट्स का उपयोग हो;
iv) रबड ट्यूब की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और किसी भी दिखाई देने वाली दरार/क्षति के मामले में तुरंत बदल दिया जाना चाहिए। एलपीजी वितरक द्वारा बेचे जाने वाले "सुरक्षा" एलपीजी नली के उपयोग की अनुशंसा इसकी बढ़ी हुई सुरक्षा विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण की जाती है। रबड ट्यूब आईएसआई अनुमोदित होना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना वितरकों में केवाईसी रिकॉर्डों की परीक्षण जांच और लाभार्थियों के सर्वेक्षण (1662) में 277 मामलों (16.67 प्रतिशत) में असुरक्षित एलपीजी प्रथाओं को अपनाने का पता चला है जैसे एलपीजी सिलेंडर की ऊंचाई से नीचे हॉट प्लेट की स्थापना (82 मामले), लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर रखी गई हॉट प्लेट (9 मामलें), खराब गुणवत्ता/जंग लगे/क्षतिग्रस्त स्टोव बर्नर/गैर-आईएसआई स्टोव (21 मामले), नली-पाइप की उप-मानक गुणवत्ता (10 मामलें),

असुरक्षित स्थानों में एलपीजी कनेक्शन की संस्थापना अर्थात कच्चे मकानों, बांस/घास की छत (155 मामले) आदि। निम्नलिखित चित्रों में असुरक्षित प्रथाओं के उदाहरण प्रतिबिंबित होते हैं:

1 फर्श पर रखा गैस स्टोव: आईओसीएल कानपुर

2 फर्श पर रखा और क्षति ग्रस्त पाईप का उपयोग: आईओसीएल, कानपुर

3. फर्श पर रखा गैस स्टोव: बीपीसीएल, मिर्जापुर

4. घास की छत में स्थापित किया एलपीजी कनेक्शन: एचपीसीएल, सीतापुर

इसके अलावा, उपर्युक्त वर्णित मामलों की पूर्व-संस्थापना निरीक्षण और संस्थापना रिपोर्ट की समीक्षा से पता चला कि इन मामलों में, घरों को एलपीजी के संस्थापन के लिए सुरक्षित घोषित किया गया था।

1. इसके अलावा, यह देखा गया था कि पहले तीन मामलों में, पूर्व-संस्थापना निरीक्षण रिपोर्ट में एलपीजी के लिए ऊंचे प्लेटफार्म की उपलब्धता की पुष्टि की गई थी। हालांकि, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान इन रसोइयों में इसे नहीं पाया गया था।
2. चौथे मामले में, पूर्व-संस्थापना निरीक्षण रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई थी कि छत पक्की थी। हालांकि, लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, इसे घास की छत के रूप में पाया गया था।

यह इंगित करता है कि ये रिपोर्ट एक सरसरी तौर पर तैयार की गई थीं और लाभार्थी के परिसरों की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है और इन्हें एलपीजी कनेक्शन की संस्थापना के लिए सुरक्षित घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, यह ओएमसीज के द्वारा एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

2016-17 से 2018-19 (दिसम्बर 2018 तक) के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों के परिसरों में हुई दुर्घटनाओं की संख्या नीचे दी गई हैं:

तालिका 4.1: ओएमसी-वार दुर्घटनाओं की संख्या

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या			
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	कुल
2016-17	23	6	16	**45**
2017-18	109	41	47	**197**
अप्रैल-दिसंबर'18	94	22	37	**153**
कुल	**226**	**69**	**100**	**395**

स्रोत: ओएमसीज

इस अवधि के दौरान दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा एलपीजी के उपयोग में असुरक्षित प्रथाओं की जांच और रोकथाम के लिए नियमित निरीक्षण करने के महत्व को रेखांकित करती है।

एमओपीएनजी ने टिप्पणी को नोट (मई 2019) किया और कहा कि ओएमसीज को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर शिक्षित करने के लिए अधिक संख्या में सुरक्षा क्लीनिंक संचालित करने की सलाह दी गई है।

4.2 सूचना साझाकरण और उपभोक्ता जागरूकता

ओएमसी ने पीएमयूवाई के शुरू होने से बहुत पहले से अपने एलपीजी ग्राहकों के लिए सुरक्षा क्लीनिक संचालित किए है। इसके बाद, एमओपीएनजी ने ओएमसीज को निर्देश दिया (नवम्बर 2016) कि जिला प्रशासन के साथ समन्वय में सभी एलपीजी वितरकों[10] में सघन सुरक्षा अभियान आयोजित करें और साथ ही ओएमसी स्तर पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियानों को करने का भी प्रयास करें। ₹ 5000 प्रति वितरक की वित्तीय सहायता ओएमसी द्वारा वहन की जानी थी और इसकी सीएसआर फंड (पीएमयूवाई के आईईसी फंड में से) से प्रतिपूर्ति की जानी थी। संबंधित डीएनओ को वितरक-वार क्षेत्रीय अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। एक मासिक रिपोर्ट आगामी महीने की 10वीं तारीख तक एमओपीएनजी को प्रस्तुत होनी थी। ओएमसीज द्वारा डीएनओज की रिपोर्टों का पुनरीक्षण करने के बाद पीपीएसी के माध्यम से प्रतिपूर्ति की जानी थी। इसके अलावा, ओएमसीज को एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ग्राम सभा स्तर पर नियमित सुरक्षा संवर्धन अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया था। ओएमसीज ने सुरक्षा क्लीनिकों पर किए गए खर्च के लिए दावा नहीं किया क्योंकि इसमें गैर-पीएमयूवाई लाभार्थियों को भी शामिल किया गया था।

[10] शहरी-ग्रामीण, ग्रामीण और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि आईओसीएल ने 31 मार्च 2018 को कुल पीएमयूवाई कनेक्शनों का 46.9 प्रतिशत होने के बावजूद एचपीसीएल की तुलना में अपेक्षाकृत कम संख्या में सुरक्षा क्लीनिक संचालित किए थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 4.2: आयोजित सुरक्षा क्लीनिकों की ओएमसी-वार संख्या

ओएमसी	आयोजित किए गए सुरक्षा क्लीनिकों की संख्या			
	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
आईओसीएल	9434	22267	46921	**78622**
एचपीसीएल	15224	23323	70311	**108858**
बीपीसीएल	23681	26271	32739	**82691**
कुल	**48339**	**71861**	**149971**	**270171**

चूंकि पीएमयूवाई में बीपीएल परिवारों पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिनके एलपीजी के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक होने की कम संभावना थी, पर्याप्त जागरूकता शिविरों और कार्यशालाओं की कमी एलपीजी उपयोग में सुरक्षा उपायों के बारे में लाभार्थियों को शिक्षित करने के उद्देश्य के विपरीत थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एमओपीएनजी द्वारा निर्धारित सुरक्षा अभियानों पर मासिक रिपोर्ट ओएमसीज द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

इसके बाद, प्रधान मंत्री एलपीजी पंचायत (एलपीजी पंचायत) की अवधारणा एमओपीएनजी द्वारा एलपीजी के सुरक्षित और सतत उपयोग, इसके लाभों और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन के उपयोग और महिला सशक्तिकरण के बीच संबंध के बारे में चर्चा करने के लिए लगभग 100 एलपीजी ग्राहकों को एक साथ लाने के लिए प्रारम्भ की (2017-18) । एमओपीएनजी ने मार्च 2019 तक एक लाख एलपीजी पंचायत आयोजित करने का लक्ष्य रखा जिसे ओएमसी द्वारा प्राप्त[11] कर लिया गया।

ओएमसीज (अप्रैल 2019) ने उत्तर दिया कि चूंकि इस तरह के सभी कार्यक्रम क्षेत्रीय स्तर पर वितरकों/क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाते है, इसलिए डीएनओ द्वारा कोई अलग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है।

जवाब पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किया जाना चाहिए कि एमओपीएनजी के निर्देशों के बावजूद, ओएमसीज ने सुरक्षा अभियानों पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। उचित निगरानी और रिपोर्टिंग के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि पीएमयूवाई लाभार्थियों ने इन कार्यक्रमों में किस हद तक भाग लिया।

एमओपीएनजी ने जवाब दिया (मई 2019) कि ओएमसीज को सलाह दी गई है कि जब कभी सुरक्षा अभियान (क्लीनिक) आयोजित हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

[11] ओएमसी (आईओसीएल: 54440, एचपीसीएल 27002 और बीपीसीएल: 23681) द्वारा 31 मार्च 2019 तक 105123 एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया गया।